

Signature
Parties or
pleaders
where
necessary

संक्षिप्त विचारण अंतर्गत धारा 263, 264 द.प्र.सं. 1973

न्यायालय:-विवेक जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कसरावद प0नि0

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक ...7.19.../22 अपराध किये जाने की दिनांक 25/08/22
अभियोगी/परिवादी का विवरण-म.प्र. शासन द्वारा- आबकारी वृत्त कसरावद

अभियुक्त का नाम, पैतृकता और निवास

अभियुक्त ...क.इ.व. पिता ...क.इ.व. उम्र ...65 वर्ष, 08/08/1957
निवासी ...क.इ.व. तहसील कसरावद जिला खरगोन म.प्र.

परिवादित अपराध का विवरण

आपने दिनांक 25/8/22 समय 02:40 बजे स्थान ...क.इ.व. अपने रिहायशी मकान में अभियुक्त द्वारा अपने आधिपत्य में अवैध रूप से एक प्लास्टिक की जरीकेन में 0.7 लीटर कच्ची हाथभट्टी शराब बिना वैध अनुज्ञप्ति के आधिपत्य में रखी।

इस प्रकार आपने धारा 34(1)(क) म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के अधीन दंडनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के संज्ञान के अधीन है।

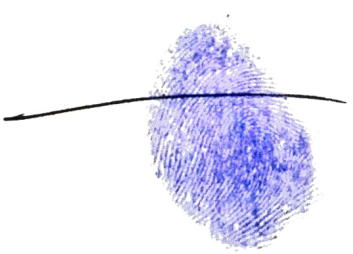
(विवेक जैन)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कसरावद जिला मण्डलेश्वर म.प्र.

अभियुक्त का अभिवाक एवं परीक्षण (यदि किया हो)-

क्या आप दोषी होने का अभिवचन करते हो या प्रतिरक्षा चाहते हो?

अपराधकारी



निम्न अंतर्गत

(विवेक जैन)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कसरावद जिला मण्डलेश्वर म.प्र.

—::निर्णय::—

आज दिनांक 17.10.2022 को घोषित।

—::निष्कर्ष::—

अभियुक्त की स्वैच्छया एवं स्पष्ट अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे धारा 34(1)(क) म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्त को परीवीक्षा प्रावधान का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

—::दण्डादेश या अन्य अंतिम आदेश::—

दंड के प्रश्न पर विचार किया गया। अपराध की प्रकृति, प्रकरण की परिस्थितियों, पर विचारोपरांत अभियुक्त को धारा 34(1)(क) म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के अधीन दंडनीय अपराध में दोषसिद्ध ठहराते हुए न्यायालय अवसान अवधि तक के कारावास और ₹ 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम में अभियुक्त को पर 07 दिन का साधारण/कठोर कारावास भुगताया जावे।

जप्तशुदा मदिरा 0.2 लीटर मय पात्र अपील अवधि पश्चात् अन्य आदेश के अभाव में नष्ट की जावे।

कार्यवाही समाप्त होने की दिनांक 17.10.2022

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टंकित

(विवेक जैन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कसरावद जिला मण्डलेश्वर म.प्र.

(विवेक जैन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कसरावद जिला मण्डलेश्वर म.प्र.